

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)
क्रमांक:- राजस्व/2023/5 दिनांक 24/01/2023

उनवान:- प्रेमबाई बनाम राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पिड़ावा
धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 24/01/2023

प्रार्थीया प्रेमबाई पत्नि मोहनलाल जाति माली नि० पिड़ावा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पिड़ावा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शेरपुर पटवार मण्डल शेरपुर तहसील पिड़ावा की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 मे खाता संख्या 234 व 235 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीया की जाति, पति का नाम व निवास स्थान) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम शेरपुर पटवार मण्डल शेरपुर तहसील पिड़ावा	234	प्रेमबाई पत्नि मदनलाल जाति नाई नि० शेरपुर	प्रेमबाई पत्नि मोहनलाल जाति माली नि० पिड़ावा
2		235	प्रेमबाई पत्नि मोहनलाल जाति नाई नि० शेरपुर	प्रेमबाई पत्नि मोहनलाल जाति माली नि० पिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
उपखण्ड जिला झालावाड़

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) दिनांक 24/01/2023

क्रमांक:- राजस्व/2023/5
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार पिड़ावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)
पिड़ावा, जिला झालावाड़

